226वें सत्र के समापन पर सभापति का वक्तव्य

माननीय सदस्यगण,

आज राज्य सभा का 226वां सत्र, जोकि 8 अगस्त, 2012 को आरंभ हुआ था, समाप्त हो रहा है। इसे संभवतः नहीं किए गए कार्यों के लिए याद किया जायेगा। निम्नलिखित आंकड़ों पर टिप्पणी करने की कोई आवश्यकता नहीं है:-

- तीन सरकारी विधेयकों को पारित किया गया और संविधान (117वां संशोधन) विधेयक सहित 2 अन्य विधेयकों को पुर:स्थापित किया गया।
- सूचीबद्ध 399 तारांकित प्रश्नों में से केवल 11 प्रश्नों के मौखिक रूप से उत्तर दिए गए। प्रश्नकाल 19 दिनों में से केवल एक दिन ही संचालित किया जा सका।
- आठ अल्पसूचना प्रश्नों को गृहीत किया गया, किंतु उन पर चर्चा नहीं की जा सकी।
- वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों में वृद्धि, देश के विभिन्न भागों में अपर्याप्त वर्षा और आसन्न सूखे तथा खाद्य सुरक्षा की समस्याओं से संबंधित तीन अल्पकालिक चर्चाओं को सूचीबद्ध किया गया, किंतु उन्हें लिया नहीं जा सका।
- चार अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों को ध्यानाकर्षण के रूप में सूचीबद्ध किया गया, किंतु उन पर चर्चा नहीं की जा सकी।
- तीन आधे घंटे की चर्चाओं को सूचीबद्ध किया गया, किंतु उन पर कार्यवाही नहीं की जा सकी।
- कुल मिलाकर, व्यवधान के कारण 62 घंटे नष्ट हुए।

राज्य सभा के नये सभापति का 13 अगस्त, 2012 को स्वागत किया गया। प्रो. पी.जे. कुरियन 21 अगस्त, 2012 को उपसभापति के रूप में निर्वाचित हुए।

मैं इस अवसर पर सभा के नेता, विपक्ष के नेता, विभिन्न राजनीतिक दलों और समूहों के नेताओं तथा माननीय सदस्यों का सत्र के दौरान उनके द्वारा बरते गए शिष्टाचार के लिए धन्यवाद करता हूँ।

मैं उपसभापति, उपसभाध्यक्षों के पैनल के सदस्यों, महासचिव और सचिवालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का भी उनकी सहायता और सहयोग के लिए धन्यवाद करता हूँ।